सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
.....	.....	.....	.....
697/2017	दावा 88, 91 RTA	15.09.2017	31.01.2018

1. रणवीर
2. नादरराम

पुत्रगण गोरूराम जाति जाट निवासीगण गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. मु. शेरा बेवा स्व. ईशरराम जाति जाट निवासिनी गिनडी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड व श्री सुरेन्द्र राहड़ वादीगण
2. अधिवक्ता श्री राजकुमार प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की पुश्तैनी मौरूसी कृषि भूमि खातेदारी कब्जा काश्त खेत ख.नं. 314/48 तादादी 1.47705 हैक्टेयर यानि 7 बीघा, ख.नं. 320/150 तादादी 1.9981 हैक्टेयर यानि 7 बीघा 18 विश्वा कुल तादादी 3.7686 हैक्टेयर (14 बीघा 18 विश्वा) वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील चूरू में स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादिनी सं. शेरा जो कि वादीगण की माता है वादीगण के पिता गोरूराम की विवाहित पत्नी थी वादीगण के पिता गोरूराम का देहान्त सम्वत् 2023 सन् 1965 में हो गया उस वक्त वादीगण नाबालिग थे और वादगत कृषि भूमि गोरूराम की मृत्यु के वक्त वादीगण के दादा चूनाराम के नाम से खातेदारी की थी। वादीगण के दादा चूनाराम का देहान्त सन् 1988 में हुआ। गोरूराम की मृत्यु के एक वर्ष बाद यानि सन् 1966 में प्रतिवादिनी शेरादेवी ने अपने सगे देवर ईशरराम से पुनः पुनर्विवाह कर लिया और प्रतिवादिनी शेरा जो कि पुनर्विवाह के बाद ईशरराम के नुत्फे से चार लड़कियां क्रमशः इन्द्रमणी, सविता, बर्जी, सरोज उत्पन्न हुई है। यह कि प्रतिवादिनी शेरादेवी ने पुनर्विवाह ईशरराम से सन् 1966 में कर लिया और ईशरराम जो कि बी.एस.एफ. (सीमा सुरक्षा बल) में नौकरी करता था जिसकी पेन्शन भी प्रतिवादिनी सं. 1 बतौर पत्नी प्राप्त करती है। ईशरराम उर्फ ईशर की मृत्यु के बाद ईशरराम की कृषि भूमि का इन्तकाल दिनांक 20.04.2016 को ख.नं. 313/48, 319/150 कुल तादादी 14 बीघा 18 विश्वा वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा का विरासतन इन्तकाल प्रतिवादिनी शेरादेवी पत्नी ईशरराम, इन्द्रमणी, सविता, बर्जी, सरोज पुत्रियां ईशरराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई है।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि वादीगण के पिता गोरूराम का देहान्त सन् 1965 में हो गया उस वक्त वादीगण नाबालिग थे और प्रतिवादिनी शेरादेवी ने वादीगण के सगे चाचा ईशरराम से पुनर्विवाह सन् 1966 में कर लिया। सन् 1966 से लगातार बतौर पत्नी शेरादेवी जो ईशरराम की चली आ रही है और ईशरराम की खातेदारी भूमि में बतौर पत्नी हक हासिल खातेदार प्राप्त किया है तथा ईशरराम की मृत्यु के बाद ईशरराम की पत्नी प्रतिवादिनी शेरादेवी मासिक पेन्शन प्राप्त करती है ऐसी स्थिति में शेरादेवी द्वारा पुनर्विवाह जो गोरूराम की मृत्यु के बाद कर लिया गया जिस कारण गोरूराम की खातेदारी कृषि भूमि व अन्य चल व अचल सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार खातेदारी बाबत प्रतिवादिनी सं. 1 का नहीं है। यह कि वादीगण के पिता गोरूराम की मृत्यु के बाद शेरादेवी द्वारा पुनर्विवाह ईशरराम के साथ करने के 31 वर्ष व्यतीत होने के बाद गलत व गैर कानूनी रूप से विरासतन इन्काल सं. 91 दिनांक 098.01.1997 को गलत रूप से शेरादेवी के नाम वादीगण के साथ बहिस्सा बराबर ग्राम पंचायत लालासर द्वारा तस्दीक किया गया। शेरादेवी के नाम विरासतन इन्तकाल में बिना अधिकार के दर्ज किया गया है इस इन्तकाल खोलने से 31 साल पहले जब शेरादेवी ने पुनर्विवाह ईशरराम के साथ कर लिया तथा ईशरराम के नुत्फे से चार लड़कियां पैदा हो गई इसलिए स्व. गोरूराम की कृषि भूमि में बतौर पत्नी खातेदारी हासिल करने की अधिकारिणी नहीं रही। प्रतिवादिनी शेरादेवी का वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/48, 320/150 कुल 3.7686 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी नहीं होते हुये भी राजस्व अभिलेख में प्रभाव शून्य एवम् प्रभावहीन राजस्व इन्द्राज किया गया है जिसको दुरूस्त करवाने तथा खातेदारी अपने नाम वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी हैं जिसके लिये यह दावा घोषणात्मक खातेदारी एवम् दुरूस्ती रिकार्ड हेतु प्रस्तुत है।

यह कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/48, 320/150 की सम्पूर्ण कृषि भूमि जो कि वादीगण अकेले बहिस्सा बराबर के खातेदारी काश्तकार काबिज हैं। प्रतिवादिनी संख्या 1 का वादगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा खातेदारी बाबत नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में गलत रूप से दर्ज खातेदारी जो प्रतिवादिनी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है उसे हटवाने तथा रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत वादीगण को कानूनी अधिकार हासिल है। यह कि प्रतिवादिनी संख्या 1 को वादगत कृषि भूमि से खातेदारी हटाने बाबत दिनांक 02.09.17 को ब मुकाम गिनड़ी पट्टा राजपुरा में वादीगण द्वारा कहा गया तो प्रतिवादिनी सं. 1 उक्त दिनांक को साफ रूप से इन्कार हो गये ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि के वादीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार एवम् काबिज होने से वाद आधार तथा इन्कारी की दिनांक 02.09.17 से वादकारण वादीगण को हासिल हुआ है। यह कि प्रतिवादी सं. 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू को तरतीबी पक्षकार बनाया गया है जिसके खिलाफ कोई प्रभावी अनुतोष दावे में नहीं चाहा गया है राजस्व अभिलेख प्रतिवादी सं. 2 के पास है तथा न्यायालय का आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि होनी है, इसिलए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। यह कि वादगत कृषि भूमि एवम् पक्षकारों का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से यह दावा उचित कोर्ट फीस एवम् अन्दर मियाद के पेश है। यह दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को होने से पेश है। अतः दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा नीचे लिखे अनुसार प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री फरमाया जावे:-

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(क) घोषित किया जावे कि खेत ख.नं. 314/48 तादादी 1.47705 हैक्टेयर ख.नं. 320/150 तादादी 1.9981 हैक्टेयर वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा के एकमात्र खातेदार वादीगण हैं। प्रतिवादिनी शेरादेवी द्वारा पुनर्विवाह कर लेने के कारण स्व. गोरूराम की उक्त कृषि भूमि में कोई हक खातेदारी बाबत नहीं रहा, वादीगण ही एकमात्र खातेदार हैं।

(ख) वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/48, ख.नं. 320/150 कुल तादादी 3.7086 हैक्टेयर वाके गिनड़ी पट्टा राजपुरा में प्रतिवादिनी सं. 1 शेरा के नाम 1/3 हिस्सा जो राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है, उसे दुरूस्त कर वादगत कृषि भूमि वादीगण के बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाया जावे तथा प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर खाता दुरूस्त किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादिनी से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजकुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया व पत्रावली जवाबदावा में लम्बित रही। दिनांक 02.01.18 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दावे के समर्थन में इकबालदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादिनी शेरादेवी की ओर से दावे के समर्थन में प्रस्तुत इकबालदावा में अंकित किया कि वादपत्र की मद सं. 1 में दर्ज तथ्य सही दर्ज किये हैं जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही दर्ज होने के कारण स्वीकार हैं। वादपत्र की मद सं. 2 में दर्ज तथ्य सही दर्ज किये जाने से स्वीकार हैं। मेरे पूर्व पति गोरूराम का देहान्त सम्वत् 2010 में हो गया। मेरे पति के नुत्फे से दो पुत्र रणवीर व भादरराम वादीगण पैदा हुये जो मेरे पूर्व पति गोरूराम की मृत्यु के वक्त 2 व 4 साल के नाबालिग बच्चे थे उस वक्त मेरा ससुर चूनाराम जीवित था और वादगत कृषि भूमि की खातेदारी मेरे ससुर चूनाराम के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज थी मेरे ससुर चूना का देहान्त सन् 1988 में हुआ। मैंने सन् 1966 में गोरूराम के छोटे भाई ईश्वरराम देवर के साथ पुनः विवाह कर लिया। पुनः विवाह होने पर ईश्वरराम के नुत्फे से मेरे चार लड़कियां इन्द्रमणी, सविता, बर्जी, सरोज पैदा हुई। इस कारण वादगत कृषि भूमि ख.नं. 313/48, 319/150 तादादी 14 बीघा 18 विश्वा वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा की कृषि भूमि जो ईशरराम मेरे पति की मृत्यु होने पर बतौर वारिसान उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल विरासतन मेरे को व मेरी चारों पुत्रियों के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है और ईशरराम जो मेरे पति की मृत्यु के बाद जो बी.एस.एफ. में नौकरी करते थे, उसकी पेन्शन बतौर पत्नी प्राप्त कर रही हूं। वादपत्र की मद सं. 3 में दर्ज तथ्य सही लिखे होने के कारण स्वीकार हैं। वादपत्र की मद सं. 4 में दर्ज तमाम तथ्य वास्तविकता के अनुसार सही दर्ज किये गये है इसलिए स्वीकार हैं। वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/48, 320/150 कुल तादादी 14 बीघा 18 विश्वा वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा जो कि मेरे पूर्व पति गोरूराम के खातेदारी व हिस्से की जो चली आ रही है जिसमें मेरा कोई हक व हिस्सा खातेदारी बाबत नहीं है क्योंकि गोरूराम का सन् 1965 में देहान्त हो गया उस वक्त मेरा ससुर चूनाराम जीवित था जो खातेदार था। मैंने सन् 1966 में मेरे देवर ईशरराम से पुनः विवाह कर

उपखण्ड अ

किया। मेरे ससुर की मृत्यु सन् 1968 में हुई इस कारण वादगत कृषि भूमि में मेरा कोई हक पुनः विवाह करने के कारण नहीं रहा है। मेरा नाम खातेदारी में गलत रूप से दर्ज किया गया है। वादीगण की एकमात्र खातेदार हैं। वादपत्र की मद सं. 5 में दर्ज तमाम कथन सही दर्ज किये गये हैं इसलिए स्वीकार हैं। मेरे पुनः विवाह करने के 30 साल बाद विरासतन इन्तकाल सं. 91 सन् 1997 में वादीगण रणवीर, भादरराम के साथ बहिस्सा बराबर ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। स्व. गोरूराम के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में मेरा कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादगत कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार वादीगण रणवीर व भादरराम अकेले हैं। वादपत्र की मद सं. 6 में दर्ज तथ्य सही होने से स्वीकार किये जाते हैं। वादपत्र की मद सं. 7 व 8 कानूनी हैं इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की मद सं. 9 में दर्ज अनुतोष क, ख वादीगण प्राप्त करने कानूनी रूप से अधिकारी हैं। वादीगण का वाद स्वीकार करने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अतः इकबालदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

दावा में इकबालदावा पेश होने पर तनकियात कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी में गवाह रणवीर ने साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 पेश किया जिनके बयान करवाये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा गवाह से जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। वकील वादी के अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने एवं वकील प्रतिवादी के साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने दावा पर अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादिनी शेरादेवी अपने पति स्व. ईशरराम की सम्पत्ति में हक हिस्सा प्राप्त कर चुकी है तथा स्व. ईशरराम की पत्नी होने के नाते उसकी पेन्शन भी प्राप्त कर रही है। शेरादेवी अपने पूर्व पति स्व. गोरूराम की सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। प्रतिवादिनी दावा में इकबालदावा प्रस्तुत कर चुकी है तथा दावा को स्वीकार करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादीगण ने सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 12 नियम 6 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि जहां पक्षकारों द्वारा दावा में इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वादगत भूमि में हिस्सा स्वीकार किया गया हो, वहां न्यायालय द्वारा उसी अनुसार निर्णय किया जाने का प्रावधान है। साथ ही यह भी कथन किया कि हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के प्रावधानों के अनुसार जब कोई विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो उसे अपने पूर्व पति की भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अपने पूर्व पति की भूमि में उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। वकील वादीगण ने अपने बहस कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त DNJ Raj. 2006(2) पेज 803, RRT 2013 (2) इकबाल जवाब पर दावा डिक्री किये जाने योग्य O.12 R.6 पेज 1128 एवं RRD 1984 पेज 829 आदि प्रस्तुत करते हुए इकबालदावा एवं विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि हम अपना इकबालदावा प्रस्तुत कर चुके हैं। अतः इकबालदावा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वादीगण द्वारा पेश दावा, इकबालदावा व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर चिन्तन मनन किया गया। वादीगण की ओर से पेश प्रदर्श–1 से प्रदर्श–9ए का अवलोकन किया गया। वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 रोही ग्राम गिनडी पट्टा राजपुरा जो प्रदर्श–1 है, में खेत ख.नं. 314/48, 320/150 कुल तादादी 3.7686 हैक्टेयर में वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादिनी शेरादेवी 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार अंकित है। प्रदर्श–2 वादगत कृषि भूमि की नकल गवश्ता है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत् 2050 के अनुसार वादगत कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी होना अंकित है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में वादगत कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादिनी शेरादेवी के नाम बहिस्सा बराबर अंकित हैं। प्रदर्श–5 नामान्तरण संख्या 91 दिनांक 09.01.97 जो गोरूराम के वारिसान के नाम विरासतन स्वीकृत हुआ है जिसमें गोरूराम के 1/6 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादिनी शेरादेवी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुए हैं। प्रदर्श–6 नामान्तरण सं. 104 दिनांक दिनांक 31.01.97 के अनुसार सह खातेदारी की वादगत कृषि भूमि का विभाजन होकर उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादिनी शेरादेवी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुए है। प्रदर्श–7 नामान्तरण सं. 431 के अनुसार ईशरराम के स्वर्गवास के बाद उसकी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 313/48, 319/150 कुल तादादी 14.18 बीघा का विरासतन इन्तकाल प्रतिवादिनी शेरादेवी व उसकी चार पुत्रियों के नाम दर्ज हुआ है। प्रदर्श–8ए पेन्शन पी.पी.ओ. नं. 240559416813 जो केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय भारत सरकार, नई दिल्ली जारीशुदा है, जिसमें प्रतिवादिनी शेरादेवी को स्व. ईशरराम की पत्नी अंकित हैं। प्रदर्श–9ए विक्रयपत्र दिनांक 02.04.2016 जिसके अनुसार शेरादेवी उसकी पुत्रियों ने स्व. ईशरराम के स्वर्गवास के बाद विरासतन प्राप्त खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 313/48, 319/150 कुल तादादी 14.18 बीघा सम्पूर्ण को जयकरण पुत्र भादरमल को क्रय किया है। शेरादेवी के आधार कार्ड सं. 353399499186 की छाया प्रति में भी शेरादेवी के पति का नाम ईशरराम अंकित है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वादीगण स्व. गोरूराम के पुत्रगण हैं एवं प्रतिवादिनी सं. 1 स्व. गोरूराम की पत्नी है तथा वादीगण स्व. गोरूराम व प्रतिवादिनी शेरादेवी के नुत्के से उत्पन्न सन्तानें है। स्व. गोरूराम की मृत्यु सन् 1965 में हो जाने से प्रतिवादिनी शेरादेवी ने सन् 1966 में अपने सगे देवर एवं स्व. गोरूराम के छोटे भाई ईशरराम से पुनर्विवाह कर लिया एवं ईशरराम के नुत्के से उसके चार पुत्रियां उत्पन्न हुई। गोरूराम की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में शेरादेवी का नाम वादीगण के साथ बहिस्सा बराबर में दर्ज हुआ है। शेरादेवी का द्वितीय पति ईशरराम सेना में नौकरी करता था जिसकी मृत्यु होने के बाद उसकी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादिनी शेरादेवी व उसकी पुत्रियों के नाम दर्ज हो चुके हैं तथा शेरादेवी स्व. ईशरराम की पारिवारिक पेन्शन भी प्राप्त कर रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी शेरादेवी का नाम स्व. गोरूराम व स्व. ईशरराम दोनों की कृषि भूमियों में दोनों की पत्नी के रूप में अंकित हो गया है जिसमें से स्व. ईशरराम की खातेदारी भूमि में प्राप्त समस्त कृषि भूमि वह अन्य खातेदार को विक्रय कर चुकी है तथा उसने अपना हक हिस्सा प्रतिफल राशि के रूप में प्राप्त कर लिया है। प्रतिवादिनी शेरादेवी का वादगत कृषि भूमि में भी 1/3 हिस्सा दर्ज है जो नियमानुसार वह प्राप्त करने की हकदार प्रतीत नहीं होती क्योंकि वह अपने वर्तमान पति की सम्पत्ति में अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर चुकी है। नियमानुसार कोई विधवा यदि पुनर्विवाह कर लेती है तो उसे पूर्व पति की खातेदारी भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। विधवा महिला एक जगह ही अपने अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्राप्त कर सकती है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादिनी सं. 1 पहले ही प्राप्त कर चुकी है। इसलिए वादगत कृषि भूमि में उसके हक व अधिकार समाप्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं. 1 ने इकबालदावा पेश कर दावा के समस्त तथ्य स्वीकार करते हुए दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। वादीगण ने अपने दावा में पेश दस्तावेजात को साक्ष्य से प्रमाणित कराया है। इस प्रकार इकबालदावा एवं पेश दस्तावेजात् प्रदर्श–1 से प्रदर्श–9ए के आधार पर दावा वादीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है। वकील वादी द्वारा पेश माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त DNJ Raj. 2006(2) पेज 803, RRT 2013 (2) इकबाल जवाब पर दावा डिकी किये जाने योग्य O.12 R.6 पेज 1128 एवं RRD 1984 पेज 829 आदि का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। DNJ Raj. 2006(2) पेज 803 में अंकित है कि – Judgement on basis of admission-Suit can be decreed if admission is made in pleadings -Defendant made admission in written statement that extra and excess work was done by plantiff-Held, Judgement and decree not suffered from any illegality or irregularity. । RRT 2013 (2) पेज 1128 में प्रतिपादित है कि– धारा 230 व 88–वाद खारिज किया–प्रतिवादी ने इकबाली जवाबदावा पेश किया–पुनर्विलोकन याचिका भी खारिज की–'पी.डी.' के 5 पुत्र थे और भूमि में उनका समान हिस्सा था लेकिन वादी का नाम रेकार्ड में प्रविष्ट नही किया–पक्षकारों के बीच विवाद नहीं रहा–न्यायालय अभिवचनों के बाहर नहीं जा सकता–रेकार्ड पर परिलक्षित त्रुटि–निर्णीत, निर्णय अपास्त किये व वाद डिकी किया। RRD 1984 पेज 829 Hindu Widows Remarriage Act, 1856, Sec. 2-Applicability-Widow performed remerriage in 1951 by Nata-Extinguishment of her rights in property of first husband-Held, widow forfeited her rights in lands left by her first husband as if she died on remerriage-Reversioners could succeed over such property. माननीय उच्च न्यायालयों के उपरोक्त दृष्टान्त इस प्रकरण पर सटीक रूप से लागू होते हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालयों के दृष्टान्त एवं विधिक प्रावधानों की रोशनी में दावा वादीगण उचित होने से स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/48 तादादी 1.47705 हैक्टेयर, ख.नं. 320/150 तादादी 1.9981 हैक्टेयर कुल तादादी 3.7686 हैक्टेयर वाके रोही गिनडी पट्टा राजपुरा तहसील चूरू की भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को डिकी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. रणवीर
2. भादरराम

पुत्रगण गोरूराम जाति जाट निवासीगण गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. मु. शेरा बेवा स्व. ईशरराम जाति जाट निवासिनी गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 697 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कताई रूबरू हमारे हाजरी श्री नन्दराम राहड़ एवं श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब श्री राजकुमार एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण की ओर से पेश दावा बिस्तृत विवेचना, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/48 तादादी 1.47705 हैक्टेयर, ख.नं. 320/150 तादादी 1.9981 हैक्टेयर कुल तादादी 3.7686 हैक्टेयर वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील चूरू की भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31 माह जनवरी सन् 2018 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू